पत्रक

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी– सुशील कुमार सैनी आर.ए.एस. नवलगढ़

राजकंवर पत्नी सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।	–बनाम–	कानसिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
किस्म मुकदमा – प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा।		मु.नं. 63 / 2025 GCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
20.03.2025	आज यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदक की ओर से वकील **श्री सज्जन कुमार चाहर** द्वारा विरूद्व अनावेदकगण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद अवलोकन कर दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील आवेदक द्वारा प्रकरण मे निवेदन किया कि राजस्व ग्राम परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1707 रकबा 0.5000 है0 भूमि आवेदक व अनावेदकगण के सहखातेदारी की भूमि है जिसका आज तक विधिवत विभाजन नही हुआ है। अनावेदकगण बिना विभाजन के उक्त भूमि को विक्रय कर खुर्द बुर्द करने पर अमादा है। अतः अनावेदकगण को तादौराने दावा उक्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते हुये आवेदक वकील को एकपक्षीय सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः उभय पक्ष को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी तक विवादित भूमि राजस्व ग्राम परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1707 रकबा 0.5000 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। **उक्त आदेश प्रचलित, कटाणशुदा व रिकोर्डेड रास्तों पर तथा किसी दीगर न्यायालय के आदेश पर प्रभावी नही होगा।** किसी भी अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के जबाब प्रस्तुत करने के बाद वकील प्रार्थी बहस हेतु बाध्य होंगे। आवेदक सी0पी0सी0 रूल 39(3) की पालना सुनिश्चित करें। अनावेदकगण की तलबी आवेदक के खर्चे पर इस आदेश के प्राप्त होने के 24 घण्टे मे जरिये रजि0 डाक से जारी हो। इस आश्य का सपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। आगामी तारीख पेशी पर वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड डाक की रसीद व उनकी डिलीवरी रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24/4/25 को पेश हो। सुशील कुमार सैनी(R.A.S.) ए॰सी॰ई॰एम॰ (फा॰ट्रे॰) नवलगढ।	
24/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप॰। अप्रा॰ सं. 2 को ओर से एड. [illegible] वकालतनामा पेश किया [illegible] पेश किया। वकील [illegible] और [illegible] ने तारीख पेशी तक [illegible] भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु Cont...	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:35:55 IST
Reason: SelfAttested

Cont.. उक्त पक्षों को पाबंद किये
जाने पर स्वघोषित बयान को
अत: प्रा० पक्ष कार्यवाई
निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता
है तथा दिनांक 20/3/2025 को
जारी अंतरिम स्थगन आदेश
को कन्फर्म किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर
दर्ज नम्बर रैन्ज मय हो
तथा बाद तामील जाब्ता
दाखिल दफ्तर हो।

ए.सी.जे.एस. (फा.ट्रै.)
[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:35:55 IST
Reason: SelfAttested